

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



№सं. 3-2(सी)/2014-ई।

Dated 08/09/2014

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: सहायक ग्रेड-III (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) और कनिष्ठ आशुलिपिकों के स्तर के पदों को भरने संबंधी महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्त नियमावली - 2005 के नियम 254 और सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं पदोन्नति) नियमावली, 1982 के भाग-I, खंड-II के नियम 5 के अनुसार, महानिदेशक, सीएसआईआर ने सहायक (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) ग्रेड-II के रिक्त पदों (आज की तारीख तक) के 50% पदों को अस्थायी तौर पर बदलने और इन पदों को सहायक (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) ग्रेड-III के स्तर पर भरने के लिए सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय को अनुमति प्रदान की है। तदनुसार सहायक (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) ग्रेड-III की सीधी भर्ती हेतु पद आधारित रोस्टर्स (Rosters) का अस्थायी तौर पर विस्तार हो जाएगा। ऐसे सभी पदों के पदधारियों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा त्याग-पत्र आदि के मामले में इन पदों के रिक्त होने पर इन पदों को सहायक (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) ग्रेड-II के मूल पदों में वापिस बदल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ आशुलिपिकों के स्तर के पदों को भरने के लिए भी समान कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि सीएसआईआर के दिनांक 13.11.2013 के पत्र सं. 5-1(14)/2008-पीडी द्वारा जारी दिनांक 18.09.2013 का वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन, डीआरक्यू (DRQ) मोड में क्रमशः सहायकों (सामान्य/वित्त व लेखा/भंडार एवं क्रय) ग्रेड-III और कनिष्ठ आशुलिपिकों के लिए अस्थायी तौर पर बदले गए उक्त पदों के संबंध में इस आदेश के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(राजीव शर्मा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त व लेखाधिकारी
3. प्रधान-एचआरडीजी, एचआरडीसी, आईपीयू, यूआरडीआईपी, 4पीआई
4. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर की निजी सहायक
6. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सचिव
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव
8. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
9. वरिष्ठ उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय
10. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - अनुरोध है कि इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. कार्यालय प्रति



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली. 110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 3-2(c)/2014-EI

Dated 08/09/2014

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

The Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts

Subject : Filling up the Posts at the level of Assistants Gr. III (Gen/F&A/S&P) and Jr. Stenographers - reg.

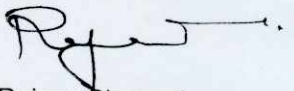
Sir,

I am directed to state that in accordance with Rule 254 of General Financial Rules – 2005 and Rule 5 of Part – I, Section – II of CSIR Administrative Services (Recruitment & Promotion) Rules, 1982, the DG, CSIR has been pleased to allow the CSIR Labs/Instts/HQ to temporarily shift 50% of the vacant posts (as on date) of Assistants (Gen/F&A/S&P) Gr. II and fill up these posts at the level of Assistants (Gen/F&A/S&P) Gr. III. Accordingly, post based Rosters for direct recruitment at the level of Assistants (Gen/F&A/S&P) Gr. III shall temporarily expand. All such posts shall revert to the original posts of Assistants (Gen/F&A/S&P) Gr. II on vacation of the posts in the event of promotion, retirement or resignation etc. of the incumbents. Further, similar action may also be taken for filling up the posts at the level of Jr. Stenographers.

It is further stated that Ministry of Finance OM dated 18/9/2013, issued vide CSIR letter No. 5-1(14)/2008-PD dated 13/11/2013 shall be applicable in r/o the above posts temporarily shifted to Assistants (Gen/F&A/S&P) Gr. III and Jr. Stenographers respectively in DRQ mode, from the date of issue of this order.

These orders come into force with immediate effect.

Yours faithfully,


(Rajeev Sharma)
Under Secretary

Copy for information and compliance to:-

1. Sr. COAs/COAs/AOs of all Labs/Instts
2. Sr. Dy. FAs/Dy. FAs/F&AOs of all Labs/Instts
3. Heads – HRDG, HRDC, IPU, URDIP, 4PI
4. PS to DG, CSIR
5. PA to JS (A), CSIR
6. PA to FA, CSIR
7. PS to CVO, CSIR
8. LA, CSIR
9. Sr. DS (CO), CSIR HQ
10. Head, IT – for uploading this letter on CSIR website
11. Office copy